राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

राजस्व लोक अदालतों में 1349 मामलों का हुआ निस्तारण

झालावाड़ 9 जुलाई/ राजस्व लोक अदालत अभियान '' न्याय आपके द्वार '' कार्यक्रम के दौरान बुधवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही किसानों के राजस्व संबंधी 1349 मामलों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों द्वारा 8 जुलाई को ग्राम पंचायत आगरिया, माथनिया, बनेठ, सोजपुर, भिलवाड़ी, देवरीकला, नयापुरा में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में नामान्तकरण के 398 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार खाता दुरस्ती के 468, खाता विभाजन के 87, खातेदारी धोषणा धारा 88 के 9, स्थायी निषेधाज्ञा के 9, इजराय के 7, पत्थरगढ़ी के 9, राजस्व नकल के 239, टी.आई (स्थगन) के 16 प्रकरणों सहित धारा 251 ए, सीमा ज्ञान, धारा 86,183 (ए) आर.टी. एक्ट इत्यादि सहित अन्य 107 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

श्रमिकों का 12 जुलाई को सवैतनिक अवकाश धोषित

झालावाड़ 9 जुलाई/श्रम कल्याण अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 12 जुलाई को पंचायत उप चुनाव 2015 हेतु पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायतों के सरपंचों, वार्ड पंचों के निर्वाचन क्षेत्राों में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्रा में मतदान दिवस के दिन निर्धारित कार्यनुसार उनके संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों व आकस्मिक कामगारों को संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्रा व निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ई–मित्रा व सी.एस.सी. केन्द्रो पर 150 सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध

झालावाड़ 9 जुलाई/जिले में सभी ई–मित्रा एवं सी.एस.सी. केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों की लगभग 150 सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही है जिसमें से बिजली, पानी, बी.एस.एन.एल. के बिल जमा करने सहित भामाशाह नामांकन, आधार नामांकन आदि सेवाएं निशुल्क प्रदान की जा रही है तथा राशन कार्ड बनवा कर प्रिन्ट करने के 50 रूपये, लेण्ड रिकार्ड की कॉपी के 30 रूपये प्रति पेज शुल्क निर्धारित किये गये है। इसी तरह विभिन्न विभागों की विभिन्न सेवाओं हेतु अलग–अलग दरें सरकार द्वारा निर्धारित है। जिसका रेट चार्ट प्रत्येक ई–मित्रा एवं सी.एस.सी. क्योस्क पर चस्पा होना आवश्यक है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि किसी भी कियोस्क पर रेट चार्ट चस्पा नहीं है अथवा निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है तो वो अनाधिकृत है जिसकी शिकायत जिला कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07432–233618 पर दर्ज करवा सकते है। इसके अतिरिक्त रेट चार्ट जिले की वेबसाईट www.jhalawar.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध करा दी गई है। प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय स्थित राजस्थान सम्पर्क आई.टी. केन्द्रों में भी ई–मित्रा क्योस्क संचालित है यहां से भी उक्त सभी सेवाएं प्राप्त कर सकते है।

अधिकारी तत्परता से आमजन की समस्याओं का निस्तारण करें – जिला कलक्टर

झालावाड़ 9 जुलाई/ जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक की अध्यक्षता में 7 जुलाई को पंचायत समिति मनोहरथाना की ग्राम पंचायत कामखेड़ा में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया।

मनोहरथाना के उपखण्ड अधिकारी धीरेन्द्र व्यास ने बताया कि चौपाल में सभी विभागो ने अपनी अपनी प्रगति एवं विभागीय योजनाओं से अवगत कराया आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व स्थानीय कर्मचारियों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित एवं निर्देशित किया गया। ग्रामवासियों द्वारा सभी धरों में शौचालय निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया। चौपाल में कुल 48 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 16 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चार वृद्धावस्था पेंशन के स्वीकृति की अभिशंषा की। गरीब व कैंसर से पीडित बद्रीलाल को मौके पर ही बी.पी.एल. किया गया। सभी अधिकारियों को लगातार फील्ड में निरीक्षण करने व तत्परता से आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये।

चौपाल में पंचायत समिति प्रधान मोरम बाई तंवर सहित जिला स्तरीय व ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

———————

शौचालय निर्माण व उपयोग का संकल्प लें – जिला कलक्टर

झालावाड़ 9 जुलाई/ जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक द्वारा 8 जुलाई को ग्राम पंचायत चन्दीपुर के ग्राम मोतीपुरा एवं बट्टूखेड़ी में शौचालयों का निरीक्षण किया गया ।

मनोहरथाना के उपखण्ड अधिकारी धीरेन्द्र व्यास ने बताया कि जिला कलक्टर ने शौचालय में हवा व प्रकाश के लिए उचित तरीकों से रोशनदान लगवाने के निर्देश दिये गये ताकि घुटन न हो। ग्रामवासियों को शौचालय सभी घरों में बनाने, उपयोग करने व साफ–सफाई रखने की जानकारी दी गई। ग्रामवासियों द्वारा उत्साहपूर्वक सभी घरो में शौचालय निर्माण व उपयोग का संकल्प लिया गया।

जिला कलक्टर द्वारा नरेगा योजना अर्न्तगत निर्मित ग्राम पंचायत तनेट के मॉडल तालाब का निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार एवं प्लान्टेशन करवाने के निर्देश दिये। श्रमिकों से नरेगा भुगतान, शौचालय निर्माण, बैंक खाता आदि पर चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रधान, उपप्रधान, सरपंच व सहायक अभियन्ता नरेगा भी मौजूद रहे।

———————

जिला स्तरीय जन सुनवाई में 18 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण

झालावाड़ 9 जुलाई / मिनी सचिवालय स्थित अटल सेवा केन्द्र में गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने आमजन की समस्याओं से संबंधित 51 परिवेदनाओं पर जनसुनवाई करते हुए मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर 18 प्रकरणों का निस्तारण करवाया तथा शेष प्रकरणों का निस्तारण एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान इन्द्रा आवास, बीपीएल सूची में नाम जुडवाने, पेंशन, बिजली व पानी इत्यादि समस्याओं से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए।

———————

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड

सफलता की कहानी

राजस्व लोक अदालत शिविर में पुत्रो को मिला पिता की भूमि में अधिकार

झालावाड़ 9 जुलाई/शिवनारायण, राधेश्याम, प्रभूलाल पिता नन्दा जाति राव निवासी आगरिया ने 8 जुलाई को ग्राम पंचायत झिकड़िया में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में उपस्थित होकर ग्राम नाहर्डीकलां में स्थित खसरा नम्बर 63 रकबा 11.06 बीघा भूमि के खाते में अपना नाम दर्ज करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया। वादीगण ने बताया कि उनके पिता नन्दा के फोत होने पर प्राथीगण के स्थान पर उनके भाई मदन लाल की पत्नी का नाम खाते में गलत दर्ज हुआ था। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ रामचरण शर्मा द्वारा तहसीलदार झालरापाटन से राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा प्राथीगण व अप्रार्थी तेजीबाई के बयान दर्ज करवाये गये एवं मजमें आम में तथ्यों की पुष्टि की जाकर शिवनारायण, राधेश्याम, प्रभूलाल मदनलाल पिता नन्दा जाति राव का नाम हिस्सा बराबर से खाते में दर्ज करने का आदेश जारी किया जाकर मौके पर ही आदेश की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करवाकर निर्णित करवाया तथा राजस्व रेकार्ड की प्रतिलिपि प्रार्थीयों को उपलब्ध करवाई गई।

''पुश्तेनी खाते की भूमि में अपना नाम दर्ज होने के आदेश व जमाबन्दी की प्रतिलिपि पाकर प्रार्थीगण की खुशी का ठिकाना नही रहा और खुशी जाहिर कर कहने लगे कि सरकार द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वार अभियान में हमें पुश्तेनी भूमि में अधिकार मिला है।''

&&&&&&&&&&&&&&

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

सरकार के दौरे से पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें – जिला कलक्टर

झालावाड़ 9 जुलाई/ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 31 अगस्त से 7 सितम्बर 2015 प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त अधिकारियों को अपने–अपने विभाग से संबंधित कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मिनी सचिवालय में गुरूवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 31 अगस्त से 7 सितम्बर को सरकार आपके द्वार प्रस्तावित कार्यक्रम से पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जायें।

उन्होनें कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये यह आवश्यक है कि जिले में समस्त प्रशासनिक व विभागीय अधिकारी एक टीम के रूप में एकजुट होकर समस्त कार्यों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होनें कहा कि सभी विभाग राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त एवं लम्बित शिकायतों, परिवादों का निर्धारित अवधि में निस्तारण करें।

उन्होने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा क्रियान्विती व सी.एम. विजिट के दौरान दिये निर्देशों की पालना रिपोर्ट का जवाब आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। जिले में ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हों या पूर्ण होने की संभावना हो ऐसे कार्यों को लोकार्पण या जिन कार्यो की स्वीकृति जारी हो चुकी हो उनका शिलान्यास कराया जा सके ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जाये एवं उनकी सूची भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होने कहा कि जिले में जीर्ण शीर्ण भवन में विद्यालय संचालित नहीं होना चाहिए साथ ही राजकीय भवनों, सड़के, पार्क एवं सार्वजनिक स्थानों का उचित रखरखाव व सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। । उन्होनें कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो जिम्मेदारी सौपी गई है। उसका गम्भीरता से निर्वहन करें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर खजान सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिलन कुमार जोहिया, आबकारी अधिकारी भवानी सिंह पालावत, जिला रसद अधिकारी प्रतिभा देवठिया, नगर परिषद के आयुक्त रामनारायण बड़गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।